कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक 822 हरनौत, दिनांक 31.5.21

प्रेषक:– **कार्यपालक अभियंता,**
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवामें,

संजय कुमार
ग्राम [illegible] हरनौत
नालन्दा।

विषय:– नाबार्ड योजनान्तर्गत [illegible] पथ से [illegible] पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

प्रसंग:– इस कार्यालय का पत्रांक.................................दिनांक.........................

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में कहना है कि विषयांकित पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा एकरारनामा संख्या 34/SBD/18-19 के अधीन पूर्ण किया गया है। एकरारनामा के अनुसार पूर्णता की तिथि से पाँच वर्षा तक अनुरक्षण कार्य आपको करना है तथा पथ को Defect Free हालत में रखना है। परन्तु आपके द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है, जो काफी खेदजनक है। अनुरक्षण के अभाव में सरकारी सम्पति का ह्रास हो रहा है जिसके लिए पूर्णतः आप जिम्मेवार है।

आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा चौथे दिन दिनांक– 4/6/21 को पथ का अंतिम मापी कर लिया जायेगा, जिसमे आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थित नहीं रहने पर आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। तदोपरांत एकरारनामा के Clause of Contract के Clause 14 के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए अग्रधन एवं जमानत की राशि जप्त कर लिया जायेगा। साथ ही निबंधन को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा कर दिया जायेगा। अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा तथा राशि की वसूली आपके जमानत एवं अन्य जब्त राशियों से किया जायेगा।

विश्वासभाजन

31.05.2021

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

31/5/21

Scanned by TapScanner